नीमराणा में 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया

बिल्डर कंपनी पर फर्जी कागजात से जमीन हड़पने का आरोप लगाया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने तहसील नीमराणा में स्थित 46 बीघा की जमीन पर चल रहे विवाद पर स्थगन आदेश लगाये हैं और जमीन पर वस्तु स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। उक्त 46 बीघा जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये से भी अधिक बताई जा रही है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शिवलता तथा अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये।

उक्त मामले में करीब 300 परिवार शामिल हैं जिनकी ओर से अधिवक्ता रजत राजन और उनके सहायक अधिवक्ता द्रोण यादव उपस्थित हुए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि गांववालों ने इस 46 बीघा जमीन को उनके पूर्वजों ने विनायक दत्ता और लक्ष्मीकांत से 1976 में खरीदा था। याचिकाकर्ता की ओर से वकीलों का कहना है कि उनकी तरफ से हाईकोर्ट से पहले किसी भी स्तर पर उचित कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सका था क्योंकि वे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के थे और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2012 में लक्ष्मीकांत और विनायक दत्ता के उत्तराधिकारियों तथा राजस्थान एजेंसी प्रा.लि.

- **इस 46 बीघा जमीन पर करीब 300 परिवार निवास करते हैं, पर कॉलोनी डवलपर ने फर्जी सेल डीड के माध्यम से आरोप लगाया कि वे इस जमीन पर गलत तरीके से रह रहे हैं**

नामक जो एक कॉलोनी डवलपर हैं, के पक्ष में फर्जी सेल डीड के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की कि लक्ष्मीकांत ने यह जमीन कभी गांववालों को बेची ही नहीं थी। याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि इस फर्जी डीड के माध्यम से लक्ष्मीकांत और विनायक दत्ता के पूर्वजों ने यह दर्शाने की कोशिश की कि उक्त जमीन का मालिकाना हक उन्हीं का है। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने विनायक दत्ता और लक्ष्मीकांत के उत्तराधिकारियों के खिलाफ एस.डी.ओ. के समक्ष याचिका पेश की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एस.डी.ओ. के समक्ष यह दर्शाया कि उक्त सेल डीड फर्जी है और गैर खातेदारी जमीन की है जिसे बेचा नहीं जा सकता और एस.डी.ओ. द्वारा ग्रामीणों की याचिका को खारिज करवाने में सफल रहे। ग्रामीणों की ओर से इस मामले को 2017 में अलवर के रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी में भी चुनौती दी गई जिसे भी खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ कई ग्रामीण रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष भी अपील लेकर गये थे। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष जब तक अपील की गई तब तक कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष अपील दायर की गई तब बोर्ड ने यह आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं ने सभी ग्रामीणों और उनके उत्तराधिकारियों को पार्टी नही बनाया है और इसलिये उनकी याचिका खारिज कर दी, जो संशोधित अपील रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष ग्रामीणो ने दायर की, बोर्ड ने पूरा मामला सुने बगैर ही खारिज कर दिया। रेवेन्यू बोर्ड के आदेशों के खिलाफ अब याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रेवेन्यू बोर्ड ने इस मामले को कभी समझा ही नहीं बल्कि कुछ तकनीकी खामियों के कारण उनके मामले को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उक्त मामले में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में उक्त 46 बीघा जमीन को गैर खातेदारी जमीन दर्शाया गया है जबकि यह जमीन खातेदारी जमीन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह तथ्य इस बात से भी साबित होता है कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार ही 1962 में उक्त जमीन का खातेदारी जमीन के रुप में ही आवंटन लक्ष्मीकांत और विनायक दत्ता को किया गया था। इसीलिये लक्ष्मीकांत और विनायक दत्ता के द्वारा 1976 में ग्रामीणों के पक्ष में जारी सेल डीड कानूनी मापदंडों पर खरी उतरती है। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि यह तथ्य विनायक दत्ता और लक्ष्मीकांत के उत्तराधिकारियों ने रेवेन्यू बोर्ड से छुपाये थे। उनका यह भी कहना है कि एस.डी.ओ. नीमराणा की रिपोर्ट नम्बर 970 जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर को दी गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उक्त जमीन का कब्जा ग्रामीणों के ही हक में है ना कि लक्ष्मीकांत और विनायक दत्ता के उत्तराधिकारियों के पक्ष में। उक्त तथ्यों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं।

श्री स्वामी लक्ष्मीराम बाग में आयुर्वेदज्ञों से रूबरू हुए सांसद वरूण गांधी

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर में मोतीडूंगरी रोड पर दादाबाड़ी के सामने स्थित श्री स्वामी लक्ष्मीराम बाग में शुक्रवार शाम को विभिन्न संस्थाओं, आयुर्वेदज्ञों और संस्कृत के विद्वान एकत्रित हुए। सांसद वरूण गांधी भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए और उन्होंने श्री स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट को सभी के सहयोग से आगे बढ़ाने का आव्हान किया। उन्होंने आयुर्वेदज्ञों की तारीफ करते हुए स्वामीजी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राष्ट्रीय संस्थान के पूर्व निदेशक बनवारीलाल गौड़ ने की। श्री स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट के ट्रस्टी हरिनारायण स्वामी ने बताया कि भारत विख्यात आयुर्वेदज्ञ स्वामी लक्ष्मीराम ने वर्ष 1934 में श्री स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट जयपुर रियासत का प्रथम ट्रस्ट बना। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं, आयुर्वेदज्ञों व संस्कृत के विद्वान एकत्रित हुए।

शुक्रवार को जयपुर शहर में एक बार फिर मौसम पलटा। दो दिन की गर्मी के बाद आसमान पर काले बादल छाये रहे। इस दौरान शहर में छितराई बारिश हुई जिससे मौसम ठंडा हो गया।

प्रदेश में 414 नए करोना संक्रमित मिले शुक्रवार को

हालांकि इस बीच साढ़े पांच सौ के करीब मरीज ठीक भी हुए हैं।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को 414 नए करोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस बीच करीब साढ़े पांच सौ मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 3023 रह गए हैं। वहीं राहत कि बात यह भी है कि पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में शुक्रवार को 28 जिलों में 414 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले राज्य में गुरूवार को 383 रोगी पाए गए थे। इधर आज भी सर्वाधिक 98 संक्रमित जयपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा नागौर में 49, अलवर में 35, उदयपुर में 31,

- **एक्टिव केस घटकर 3023 रह गये हैं**

भरतपुर में 27, चित्तौड़गढ़ में 26, जोधपुर में 25, अजमेर में 23, बीकानेर में 20, सीकर में 11, बांसवाड़ा में 9, पाली में 8, प्रतापगढ़ व सवाई माधोपुर में 7-7, बूंदी व हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद व झालावाड़ में 4-4, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर व झुंझुनूं में 3-3, चूरू, सिरोही व जालोर में 2-2, बारां, बाड़मेर व कोटा में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 7319 कोविड जांच हुई है।

प्रदेश में पिछले तीन दिन से नए संक्रमितों के मुकाबले में अधिक रिकवरी हो रही है। इसके चलते शुक्रवार को भी 546 संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 3023 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में भी इनकी संख्या घटकर 779 रह गई है। इसके अलावा भरतपुर में 316, उदयपुर में 277, अजमेर में 210, जोधपुर में 176, बीकानेर में 153 और नागौर में 149 एक्टिव केस है। प्रदेश में शुक्रवार को करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9700 लोगों की जान जा चुकी है।

फूल मोहम्मद हत्याकांड के अभियुक्तों की सजा स्थगित

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानटाउन थाने के तत्कालीन थानाधिकारी फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट कर अभियुक्त डीएसपी महेंद्र सिंह सहित 29 अन्य की सजा को स्थगित कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र सिंह व अन्य की ओर से दायर अपील में सजा स्थगित करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में महेन्द्र सिंह को विभागीय जांच से दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा घटना पूर्व निर्धारित नहीं थी व याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सीधे तौर पर हत्या का आरोप भी नहीं है। वहीं अपील को तय होने में काफी समय लगेगा। ऐसे में अपील के निस्तारण का अभियुक्तों की सजा स्थगित की जाती है।

प्रकरण में अनुसार सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना इलाके में सूरवाल गांव में दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और पीड़ित पक्ष को मुआवजे की मांग को लेकर 17 मार्च, 2011 को प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान राजेश मीणा और बनवारी मीणा बोलत में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी देने लगे। लोगों की समझाइश पर बनवारी नीचे उतर गया, लेकिन राजेश ने खुद को आग लगाकर नीचे छलांग लगा दी। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसके चलते वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर पथराव करने लगी। इस दौरान मानटाउन थानाधिकारी फूल मोहम्मद पथराव से बचने के लिए जीप में बैठ गए। इस दौरान भीड़ ने फूल मोहम्मद को जिंदा जला दिया गया।

मामले में सवाई माधोपुर की एससी, एसटी कोर्ट ने नवंबर, 2022 में डीएसपी महेन्द्र सिंह सहित 29 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अभियुक्तों की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं अभियुक्तों की ओर से सजा स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि अपील तय होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए उनकी सजा को स्थगित किया जाए।

चित्तौड़गढ़ किले पर अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो

जयपुर, (का.सं.)। मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अनूठी पहल के अन्तर्गत 29 अप्रैल, से देश भर में स्थित एएसआई स्मारकों 13 प्रतिष्ठित स्थानों जिसमें चितोड़गढ़ किला भी शामिल है, उस पर अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का आयोजन किया जायेगा।

चित्तौड़गढ़ किला के अतिरिक्त लाल किला दिल्ली, .ग्वालियर का किला, मध्य प्रदेश, कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा,गोलकुंडा किला, तेलंगाना, वेल्लोर किला, तमिलनाडु,.गेटवे ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, नव रतनगढ़ किला, झारखंड, रामनगर पैलेस, उधमपुर, रेजीडेंसी बिल्डिंग, उत्तर प्रदेश, मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात, रंगघर, असम, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली के निवासी प्रोजेक्शन मैपिंग का आनन्द ले सकते है।

यह आयोजन आम लोगों के लिए शाम 5 बजे से खोला जाएगा। प्रोजेक्शन मैपिंग शो क्षेत्रीय भाषाओं में होगा और हमारे देश के इतिहास और विरासत को विस्तृत वर्णन करेगा, आकर्षण का केंद्र बनेगा। शाम 7 बजे से पर्यटक इसका लुत्फ उठा सकेंगे। यह शो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में स्मारक के ऐतिहासिक और स्थापत्य चमत्कार के साथ-साथ मन की बात के विषय पर प्रकाश डालेगा। इसके अलावा, इन सभी जगहों पर मन की बात के पिछले एपिसोड्स को सुनने के लिए ऑडियो बूथ, तस्वीरों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण अवसर की यादों को इकट्ठा करने के लिए सेल्फी बूथ और विचारों को साझा करने के लिए मैसेज बूथ जैसी कई अन्य पहल भी की जाएगी।

राजभवन में मन की बात पर प्रदर्शनी

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अक्टूम्बर 2014 में आमजन से जुड़ने के अभिनव प्रयास मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 100 वें एपिसोड़ के प्रसारण के उपलक्ष्य में सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय, जयपुर द्वारा राजभवन मे मन की बात पर मल्टी मीड़िया डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। केन्द्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उदघाटन 30 अप्रैल को सबह 10.15 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे।

उन्होने बताया कि इस प्रदर्शनी में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न आयाम जैसे आत्मनिर्भर भारत, डीजिटल इण्डिया, फिट इण्डिया के अलावा राजस्थान के मन की बात से जुड़े लोगों को प्रदर्शित किया जायेगा।

सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल ननु मीसारी पुत्र श्री जगन मीसारी निवासी समलेटी तहसील महवा जिला दौसा राज. के हैं, जो कि मेरे मुवक्किल के दो पुत्र सलीम व इस्लाम उसके परिवारजन उनके कहने में नहीं हैं जिसमें से सलीम का इंतकाल हो चुका है तथा सलीम की पत्नी पप्पी (पुत्र अमीर खान गूलफाम व पुत्रिया अफासाना, आसियाना, करिश्मा) व दूसरा पुत्र इस्लाम व उसकी पत्नी अशो व (पुत्रिया तानिया, आईशा, अनम, पुत्र-आदिल, अरखाज) मेरे मुवक्किल के कहने में नहीं है तथा अपनी मर्जी के मुताबिक जिन्दगी जी रहे हैं तथा मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र सलीम के परिवारजन व इस्लाम व उसके परिवारजन को उसके गलत आचरण उनके खिलाफ होने के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, भविष्य में जो कोई व्यक्ति इनसे कोई भी संव्यवहार या लेनदेन करेगा, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, इसमें मेरे अभिभाव्य ननु मीसारी का कोई सम्बन्ध नहीं होगा, सूचित रहे तथा मेरे मुवक्किल की पुत्रीया साबरा, सकीला, ऊमा, सलिमा व सितारा है जो कि मेरे मुवक्किल ननु मीसारी के इन्तेकाल के बाद उनकी पांचों पुत्रीया ही संयुक्त रूप से समस्त चल व अचल सम्पत्ति की स्वामिनी, मालिक, काबिज, अधिकारी होगी सूचित रहे।
दिनांक- 14.04.2023
(दिलीप मौर्य) एडवोकेट, मो. 9664040683

खोया पाया

मेरा प्लाट नंबर-33, बालाजी विहार-44, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर का मूल आवंटन, साइट प्लान, रसीद खो गये है मिलने पर सूचित करें-मनोज कुमार सोगवान मो.9929849988

मकान नंबर 194/205 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर के मूल आवंटन पत्र एवं मूल नाम हस्तान्तरण पत्र कहीं पर गिर/गुम गये हैं मिलने पर सूचित करें। श्रीमती कुसुम पटवारी मोबाइल-7737649870

जविप्रा की रिंग रोड परियोजना ग्राम अभयपुरा के भू.स.-11/OE/606, भू.स.-11/OE/572, भू.स.-11/OE/527 एवं भू.स.-11/OE/730 की लीजडीड, आवंटन पत्र व कब्जा पत्र कहीं गुम हो गये है, श्रीमती अनिता शर्मा, मो.नं. 9602754615

NAME CHANGE

I Have Changed my Name from Hassan Ali to Hasan Ali in Future. 20, Muslim School Ke Piche Jinnaton Ki Masjid M.D. Road, Jaipur.

I have changed my name from Ravindera Singh Shekhawat to Ravinder Singh Shekhawat for all purpose. R/o 78 A.K gopalan nagar khatipura Jaipur Raj.

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुतफरिक) वाद सं. 2350/2023
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम किशोर कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री नाथूलाल जाति शर्मा विवाद स्थान सेक्टर 7/393 मालवीय नगर, जयपुर (राज.)
मृतक श्रीमती शान्ति देवी की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 31.05.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमती शान्ति देवी पुत्री श्री गंगा बक्श जाति....निवी सी-10, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, प्रताप मार्ग, जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 31 माह 05 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 27 माह 04 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतका श्रीमती शान्ति देवी के नाम प्रा. पत्र में वर्णित खातो में जमा राशि बाबत उत्याधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम
मोहर अदालत

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी
श्रीमती गोपाली देवी
श्रीमाल पत्नी स्व. श्री लक्ष्मी नारायण श्रीमाल गंगापुर (खानदेश) वालों का स्वर्गवास दिनांक 27.04.2023 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 29.04.2023 को 04:00-05:00 बजे निवास स्थान प्लॉट नंबर 9 तिरुपति बालाजी नगर एयरपोर्ट सांगानेर पर होगी।
शोकाकुल- सत्यनारायण, कैलाश, माणक, रमेश (भतीजे) नरेंद्र, राजेश (पुत्र) राम (पौत्र) एवं समस्त गंगापुर परिवार।-9636308536

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नेपाल के 15 नागरिकों को जयपुर फुट लगाये

जयपुर, (का.सं.)। नेपाल के महिला और पुरूष दल के पन्द्रह सदस्यों को जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) में विशेष रूप से जयपुर फुट लगवाने और अपना पुर्नवास करने आए थे, को समिति द्वारा निःशुल्क कृत्रिम पैर लगाए गए।

नेपाल के बांकी जिला में महिला दिव्यांगजनों की संस्था बांकी डिसएब्ल्ड वीमन एसोसिएशन का नेतृत्व कर रही विनिता शर्मा ने कहा कि उनकी संस्था ने जयपुर यात्रा के लिए पाँच विकलांगों को भी शामिल किया। पूरा दल नेपाल से जयपुर तक की यात्रा बस से सफर कर पूरी की।

नौ को अनुकम्पा नियुक्ति

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम में निगम के मृतक कर्मचारियों के 9 आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रुप में वाणिज्यिक सहायक द्वितीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति प्रदान की है। सभी को अपने पदस्थापित स्थान पर आदेश जारी होने की तिथि से एक माह में कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए है।

विधानसभा अध्यक्ष ने किया राष्ट्रीय सहकार मेले का उद्घाटन

विधानसभाध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र में दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का शुभारम्भ किया। इस दौरान कृषिमंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना मौजूद रहे।

जयपुर, (का.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जयपुरवासियों की पहली पसन्द बन चुका है, शहरवासी इसका बेसब्री से इन्तजार करते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का यह बहुत अच्छा प्रयास है कि एक ही प्लेटफार्म पर गुणवत्तापूर्ण मसाले जयपुरवासियों के लिए उपलब्ध करा रहा है।

डॉ. जोशी शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र में दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2023 का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मसाले जयपुर के लोगों के लिए उपलब्ध होना लाभदायक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्गेनिक उत्पादों की गुणवत्ता बरकरार रहनी चाहिए। इस मौके पर कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव भी उपस्थित थे।

जवाब पेश नहीं करने पर कलेक्टर और तहसीलदार पर हर्जाना लगाया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में सुधार करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से 12 साल से जवाब नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने सीकर कलेक्टर और श्रीमाधोपुर तहसीलदार पर दस-दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह हर्जाना राशि दोषी अफसरों के वेतन से वसूल कर सकती है। वहीं अदालत ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह 23 मई को रिकॉर्ड सहित उपस्थित हो। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पुष्पा शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले को अंतिम निस्तारण के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने के चलते इस पर अंतिम सुनवाई नहीं हो सकी। जबकि अगस्त, 2022 में अदालत ने सरकारी वकील को जवाब पेश करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। ऐसे में प्रकरण को लेकर राज्य सरकार की उदासीनता और कलेक्टर और तहसीलदार की ओर से जवाब पेश नहीं करने उन पर हर्जाना लगाया जा रहा है।

याचिका में अधिवक्ता श्याम आर्य और अधिवक्ता अतुल भारद्वाज ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के ससुर ने सीकर के खंडेला में आरएफसी से वर्ष 2007 में जमीन खरीदी थी। इस जमीन को आरएफसी ने एक कंपनी से गिरवी रखा था। वहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह जमीन पूर्व के मालिक के नाम ही दर्ज हो रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित प्रार्थना पत्र पेश किए, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया गया। इसके अलावा रिकॉर्ड में जमीन की किस्म में भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2011 में याचिका पेश की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने अब तक जवाब ही पेश नहीं किया।

नोटिस मजरिये अदालत

न्यायालय राजस्थान राज्य सहकारिता अधिकरण जयपुर (2150)
व मुकदमा नं. 30 सन् 2023 बरजुब
आईआईएफएल होम फा. लि. मुदई
बनाम
अति रजिस्ट्रार (प्रथम) सहकारी समितियां मुदुदायलह
दावा/प्रा. पत्र
बनाम **अजय कुमार सक्सेना S/o** रनवीर चरण, एवं **श्रीमती संतोष सक्सेना W/o** अजय कुमार सक्सेना **दोनो निवासी**– 622, रानी सतीनगर, जनपथ, अजमेर रोड, जयपुर
हरगाह कि मु. .....ने अदालत हाजा में दरखवास्त पेश की है कि.....लिहाजा आपको जरिये हाजा मुत्तला किया जाता है कि.. .....अदालत हाजा में व तारिख **24/05 माह/2023 सन् ई.** वक्त अदालत असालतन या जरिये वकील हाजिर होकर खिलाफ मन्जूरी दरखवास्त और कोई वजह रखते हों तो जाहिर करो व सूरत आपकी अदम हाजरी के दरखवास्त इकतरफा समाअत की जाकर फैसिल होगी।
आज तारीख **25 माह 04 सन् 2023** बसब्त हमारे दस्तखत मोहर अदालत के जारी हुआ।
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण
महानगर न्यायालय परिसर बनीपार्क
जयपुर–302016

इत्तलानामा बनाम रेस्पाडेन्ट

न्यायालय राजस्थान राज्य सहकारिता अधिकरण जयपुर राजस्थान
अपील नम्बरी मुतफरिक या इजराय 33/23
डिटी नं. .....सन्.....
बिजाराजी तजवोज .....
अदालत मुकाम .....मुकाम .....
मवरिखा ..... सन् .....
आईआईएफएल होम फा. लि. अपीलान्ट
बनाम
अतिरिक्त रजिस्ट्रार व अन्य रेस्पाडेन्ट
बनाम **अजय कुमार सक्सेना S/o** रनवीर चरण, एवं **श्रीमती संतोष सक्सेना W/o** अजय कुमार सक्सेना **दोनो निवासी**– 622, रानी सतीनगर, जनपथ, अजमेर रोड, जयपुर
मुत्तिला हो कि अपील बिनाराजी डिग्री व तारीख **03/01/2023** इस मुकदमें में अपिलार्थी ने पेश किया है और इस अदालत की तजबीज...24...05 माह..2023 सन् ई वास्ते समाअत इस अपील के मुकर्रर की गई है अगर खुद आप या आपके वकील या कोई और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जवाब व सवालत करने का माजज हो हाजिर न आवेगा तो समाअत और की जायेगी।
आज तारीख **25 माह 04 सन् 23ई.** मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया।
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण
महानगर न्यायालय परिसर बनीपार्क
जयपुर–302016